

कार्यालय वन वृत्त छतरपुर (म.प्र.)

पुराना बिजावर नाका, सागर रोड, छतरपुर 471001

☎ 07682-242107 (O.), 242107 (Fax) E-mail: ccf.ctr@mp.gov.in

क्रमांक / तकनीकी / 2026 / 858

छतरपुर / दिनांक 04 / 07 / 2026

प्रति,

रजिस्ट्रार,
राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
मध्य क्षेत्रीय न्यायपीठ तृतीय तल,
राज्य सूचना आयोग भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल, म.प्र


विषय :- Compliance of order in Original Application No.19/2026(CZ) in Suo Moto Titled " Jungle ke seene par Ye Ghav Hai Ya Vikas Ki Lakir" appearing in Dainik Bhaskar News Paper dated 21.12.2025 एवं पत्र क्रमांक / 211 दिनांक 20.04.2026 ।

संदर्भ:- वनमण्डलाधिकारी, सा. वनमण्डल छतरपुर का पत्र क्रमांक / स्टेनो / 2026 / 1935 दिनांक 03.07.2026 ।

— 0 —

विषयांकित संदर्भित पत्र से प्राप्त प्रकरण क्र.O.A. No. 19/2026(CZ) के संबंध में 06 बिन्दुओं की जानकारी, अवलोकन कर अनुशंसा सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


04.07.26
(नरेश सिंह यादव)
भा.व.से. 2008
मुख्य वन संरक्षक
वन वृत्त छतरपुर



क्रमांक/स्टेनो/2026/1935
प्रति,

छतरपुर, दिनांक 03/07/2026

मुख्य वन संरक्षक
छतरपुर वृत्त छतरपुर


विषय :- Compliance of order in Original Application No.19/2026(CZ) in Suo Moto Titled "Jungle Ke Seene Par Ye Ghav Hai Ya Vikas Ki Lakir" appearing in Dainik Bhaskar News Paper dated 21.12.2025 Vs State of Madhya Pradesh & Ors.

संदर्भ :- रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, मध्य क्षेत्रीय न्यायपीठ तृतीय तल, राज्य सूचना आयोग भवन अरेरा हिल्स, भोपाल का पत्र क्रमांक/NGT-CZB/Jud./2026/82 दिनांक 21.12.2025 एवं पत्र क्रमांक/211 दिनांक 20.04.2026

विषयान्तर्गत निवेदन है कि रांदर्गित पत्रों द्वारा आपने प्रकरण क्रमांक O.A. No.19/2026(CZ) के संबंध में 06 बिन्दुओं की जानकारी चाही गई है। प्रकरण में चाही गई वांछित तैयारकर जानकारी अदलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित कर अनुरोध है कि सम्प्रेषित जानकारी रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, मध्य क्षेत्रीय न्यायपीठ तृतीय तल, राज्य सूचना आयोग भवन अरेरा हिल्स, भोपाल को दिनांक 08.07.2026 के पूर्व भेजने का कष्ट करें।

| No. | Query | Answer | | | | | | |
|--|---|--|-----------------|----------------|--|--|------------|------------|
| 1- | Total number of trees allowed to be cut down in the district Sagar and Chattarpur for development of Bharat Mala project in Sagar-Hirapur bypass- Mohari-Sathya; valley | भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग सागर-कानपुर में वनमंडल छतरपुर अंतर्गत काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है :- <table border="1"> <thead> <tr> <th>परियोजना का नाम</th> <th>रकबा (हे. में)</th> <th>वनक्षेत्र अंतर्गत काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>सागर-कानपुर (पैकेज-2) मोहारी से साटिया घाट</td> <td>29.5184</td> <td>17162</td> </tr> </tbody> </table> | परियोजना का नाम | रकबा (हे. में) | वनक्षेत्र अंतर्गत काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या | सागर-कानपुर (पैकेज-2) मोहारी से साटिया घाट | 29.5184 | 17162 |
| परियोजना का नाम | रकबा (हे. में) | वनक्षेत्र अंतर्गत काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या | | | | | | |
| सागर-कानपुर (पैकेज-2) मोहारी से साटिया घाट | 29.5184 | 17162 | | | | | | |
| 2- | Total tree already cut down. | राष्ट्रीय राजमार्ग सागर-कानपुर (पैकेज-2) मोहारी से साटिया घाट में वनमंडल छतरपुर अंतर्गत आने वाले वनक्षेत्र में 16882 वृक्ष तथा राजस्व क्षेत्र अंतर्गत 139 वृक्ष कुल 16821 वृक्षों का विदोहन किया गया है। | | | | | | |
| 3- | Amount deposited by the National Highway Authority of India in the Campa Fund. | सागर-कानपुर (पैकेज-2) मोहारी से साटिया घाट परियोजना वनमंडल छतरपुर अंतर्गत रकबा 29.5184 हेक्टेयर में आवेदक सरथान द्वारा कम्पा मद में जमा की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है :- <table border="1"> <thead> <tr> <th>NPV की राशि</th> <th>CA की राशि</th> <th>रोड साइड प्लॉन्टेशन की राशि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>36266012/-</td> <td>26998317/-</td> <td>18393813/-</td> </tr> </tbody> </table> | NPV की राशि | CA की राशि | रोड साइड प्लॉन्टेशन की राशि | 36266012/- | 26998317/- | 18393813/- |
| NPV की राशि | CA की राशि | रोड साइड प्लॉन्टेशन की राशि | | | | | | |
| 36266012/- | 26998317/- | 18393813/- | | | | | | |
| 4- | Details of utilization of fund alongwith details of site wise plantation along with the major species planted. | परियोजना में 60.000 हेक्टेयर क्षेत्र पर वृक्षारोपण किया जाना है तथा सड़क निर्माण उपरांत रोड साईट प्लॉन्टेशन किया जाना है। उपरोक्त दोनों योजनाओं की स्वीकृति वर्ष 2025 में प्राप्त हुई थी, वर्ष 2026 में वृक्षारोपण हेतु राशि प्राप्त होने उपरांत रोपण कार्य किया जावेगा। | | | | | | |
| 5- | Survival percentage of trees as of now on the date of fresh monitoring done by the CCF or the representative of the CCF. | रोपण कार्य पूर्ण होने उपरांत ही मुख्य वन संरक्षक वृत्त छतरपुर द्वारा निरीक्षण किया जावेगा। | | | | | | |
| 6- | Action plan for the utilization or non utilized fund along with details of plantation activities be carried out. | वनमंडल छतरपुर अंतर्गत 60.000 हेक्टेयर क्षेत्र पर वृक्षारोपण किया जाना है, जिसकी वृक्षारोपण योजना संलग्न है। वर्ष 2026 में राशि प्राप्त होने पर वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र तैयारी का कार्य किया जावेगा एवं सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने उपरांत रोड साईट प्लॉन्टेशन का कार्य किया जावेगा। | | | | | | |

संलग्न-उपरोक्तानुसार।


वनमंडलाधिकारी

सा. वनमण्डल छतरपुर

कार्यालय वन वृत्त छतरपुर(म.प्र.)

सागर रोड़, छतरपुर (म.प्र.) 471001
Phone: 07682-242107 (O.), 242870 (R.), 242107 (FAX) E-mail: cchtpur@mp.gov.in

—: आदेश :—

क्रमांक/तकनीकी/व्यय/2023/99

छतरपुर/दिनांक 04/07/2023

वनमण्डल छतरपुर अंतर्गत शाहगढ़-हीरापुर बाईपास मोहारी से साठिया घाट सैक्शन एन.एच. 934 एवं एन. एच. 34 टू लेन एवं फोर लेन के विस्तारण में प्रभावित वनभूमि रकबा 29.5184 हे. के बदले दुगने डिगडे वन क्षेत्र परिक्षेत्र बकरवाहा के कक्ष क्र. पी-235 रकबा 60.00 हे. (ऑन लाईन प्रस्ताव क्रमांक/FP/MP/ROAD/ 155297/2022) में 11 वर्षीय रोपण योजना वनमण्डलाधिकारी छतरपुर के पत्र क्र./मा.चि./2023/961 दिनांक 28.06.2023 से प्रस्तुत योजना की तकनीकी स्वीकृति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल म.प्र. के पत्र क्र./2019/4050 दिनांक 30.12.2019 के द्वारा देये गये निर्देशों के अनुसार कुल राशि 26998317/- (दो करोड़ छहतर लाख अनठानवे हजार पान सौ सत्रह रुपये मात्र) एतद द्वारा तकनीकी स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

| जिला/ वनमण्डल | ग्राम/ परिक्षेत्र | व्यय क्रमांक/ कक्ष क्र. | रोपण हेतु प्रस्तावित रकबा | विवरण | राशि (रु.में) |
|-------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|---------------|
| छतरपुर/ छतरपुर | जैतपुरा/ बकरवाहा | पी-235 | 60.00 हे० | वृक्षारोपण राशि | 22312659.00 |
| | | | | वृक्षारोपण राशि पर आरथामूलक राशि 5% | 1115633 |
| | | | | वृक्षारोपण राशि पर मानव संसाधन एवं विकास 1% | 223127 |
| | | | | वृक्षारोपण राशि पर 4% अनुश्रवण एवं मूल्यांकन राशि | 892506 |
| | | | | योग - | 24543924.00 |
| | | | | कुल वृक्षारोपण राशि पर 10% पर्यवेक्षण शुल्क | 2454392 |
| | | | | महायोग - | 26998317.00 |

- कार्य राशि उपलब्ध होने पर कराया जावेगा।
- सामग्री क्रय, मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियमों के अनुरूप किया जावे।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-सर्वेक्षण) म०प्र० भोपाल के पत्र क्रमांक 572 दिनांक 07.02.2002 के अनुरूप कार्य कराये जावेंगे, एवं सफलता सुनिश्चित की जावेगी।
- उक्त कार्य से संबंधित अभिलेखों (यथा माप पुस्तिका/देयक/रोपण पंजी आदि) का नियमानुसार संधारण किया जावे।

(सजीव झा)

वन संरक्षक

छतरपुर वृत्त, छतरपुर

छतरपुर/दिनांक 04/07/23

पृष्ठांक/क्रमांक/तकनीकी/व्यय/2023/110

- प्रतिलिपि :-
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
 2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल-छतरपुर को सूचनार्थ।
 3. आदेश पत्रावली।

वन संरक्षक

छतरपुर वृत्त, छतरपुर

मध्य-प्रदेश शासन



वन विभाग

योजना का नाम : क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण जैतूपुरा

योजना का मद : सी.ए. मद

वर्ष : 2023-2024

कक्ष क्रमांक - P 235

क्षेत्रफल : 65 हे. रोपण योग्य रकवा 60 हे.

समिति का नाम :- ग्राम वन समिति जैतूपुरा

योजना अवधि :- वर्ष 2023-24 से 2033-34 तक

वन परिक्षेत्र - बकस्वाहा

वन मण्डल-छतरपुर सा०

सामान्य विवरण

- | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------|
| 1. परियोजना का नाम | - | वैकल्पिक रोपण |
| 2. जिला | - | छतरपुर |
| 3. वन मण्डल | - | छतरपुर |
| 4. परिक्षेत्र | - | बकस्वाहा |
| 5. तहसील | - | बकस्वाहा |
| 6. ग्राम पंचायत | - | जैतूपुरा |
| 7. बीट का नाम | - | बकस्वाहा |
| 8. कक्ष क्रमांक | - | पी. 235 |
| 9. ग्राम वन समिति | - | जैतूपुरा |
| 10. कक्ष किस कार्यवृत्त में आता है | - | आर.डी.एफ. |
| 11. मिट्टी का प्रकार | - | काली, रेतीली दुमट, लाल लेटेराइट |
| 12. साईट क्वालिटी | - | Vb |

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या - 60,000
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :-

| प्रजाति का नाम | पौधों की संख्या | पौधों की आयु वर्ष में | पौधों की उंचाई (से.मी.) | कॉलर गोलाई (से.मी.) |
|----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| बांस | 3000 | 2 वर्ष | 90 से.मी. | - |
| सागौन | 10000 | 2 वर्ष | 75 से.मी. | - |
| नीम | 12000 | 2 वर्ष | 60 से.मी. | - |
| करंज | 18000 | 2 वर्ष | 75 से.मी. | - |
| सिरस | 9000 | 2 वर्ष | 90 से.मी. | - |
| आंवला | 7000 | 2 वर्ष | 60 से.मी. | - |
| अन्य | 1000 | 2 वर्ष | 90 से.मी. | - |
| योग | 60000 | | | |

3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत क्षेत्र में मौजूद छोटे नालों में पत्थर नाला बंधान एवं चैक डेम निर्माण आदि अन्य जल संरक्षण के कार्य किया जावेंगे । इन कार्यों के लिये प्रथम वर्ष की राशि में 25 प्रतिशत राशि प्रावधानित की गई है ।

4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा चैनलिंग फेंसिंग तथा आर.सी.सी. पोल्स लगाकर की जावेगी ।

5. पुर्न उत्पादन सफाई :- क्षेत्र में किये वूठ ड्रेसिंग कार्य से प्राप्त कापिस की सिंगलिंग का कार्य सुरक्षा श्रमिकों के माध्यम से द्वितीय वर्ष अथवा तृतीय वर्ष में किया जावेगा । क्षेत्र में बिरलन कार्य कार्य आयोजना में दिये गये प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा ।


6. सिल्वीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में लेन्टाना उन्मूलन का कार्य किया जायेगा । रोपण उपरांत चतुर्थ वर्ष तक प्रति वर्ष 2 बार निंदाई का कार्य किया जावेगा । पंचम वर्ष में 1 बार निंदाई का कार्य किया जावेगा ।

7. रखरखाव :- रोपण के रखरखाव उपरांत 10 वर्षों में रखरखाव कार्य किया जावेगा ।
8. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष माह मई तथा अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की जावेगी । इस गणना की प्रविष्टि रोपण पंजी में की जावेगी । समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किय जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

| | |
|---------------------------|-------------|
| परिक्षेत्र सहायक द्वारा | 100 प्रतिशत |
| परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा | 50 प्रतिशत |
| उप वन मण्डलाधिकारी द्वारा | 20 प्रतिशत |
| वन मण्डलाधिकारी द्वारा | 10 प्रतिशत |


राज्य शासन द्वारा समय-समय पर तौर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा ।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधे स्थाईत्व को प्राप्त कर लेंगे ।


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र-बकस्वाहा


स्थल उपर्युक्ता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कैम्पा मद से क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण जैतूपुरा हेतु प्रस्तावित क्षेत्र कक्ष क्रमांक पी. 235 क्षेत्रफल 65 हे. में से रोपण योग्य रकवा 60 हेक्टे. का निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक 19/6/2023 को किया गया। स्थल में प्रस्तावित समस्त कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुसार ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सम्मिलित किये गये हैं एवं स्थल में प्रस्तावित गतिविधियां वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र का चयन उपयुक्त है।


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र बकस्वाहा


स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रमाणित किया जाता है कि कैम्पा मद से क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण जैतूपुरा हेतु प्रस्तावित क्षेत्र कक्ष क्रमांक पी. 235 क्षेत्रफल 65 हे. में से रोपण योग्य रकवा 60 हेक्टे. का निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक 19-6-23 को किया गया। वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा तैयार किये गये परियोजना प्रतिवेदन से सहमत हूं। प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन क्षेत्र हेतु उपयुक्त पाया गया। प्रस्तावित गतिविधियां वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र का चयन उपयुक्त है।


उप वन मण्डलाधिकारी
उपवन मण्डल बकस्वाहा

उपर्युक्ता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कैम्पा मद से क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण जैतूपुरा हेतु प्रस्तावित क्षेत्र कक्ष क्रमांक पी. 235 क्षेत्रफल 65 हे. में से रोपण योग्य रकवा 60 हेक्टेयर वन परिक्षेत्र अधिकारी एवं उप वन मण्डलाधिकारी द्वारा तैयार किये गये परियोजना प्रतिवेदन से सहमत हूं।


वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल छतरपुर (सा.)

प्रोजेक्ट रिपोर्ट

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------------|----|
| वनमण्डल का नाम | : | छतरपुर | |
| परिक्षेत्र का नाम | : | बकस्याहा | |
| कक्षा क्रमांक | : | P 235 | |
| पुष्कारोपण का कुल रकबा(हेक्टेयर में) | : | 65 Ha | |
| रोपण योग्य रकबा (हेक्टेयर में) | : | 60 हेक्टेयर | 60 |
| रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या | : | 60000 | |
| ग्राम वन समिति का नाम | : | जैतपुरा | |

क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण जैतपुरा

कक्षा क्र. 235, समिति - ग्राम वन समिति - जैतपुरा

रकबा

60

हेक्टेयर

(असिंचित)


क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष 2023-24
संख्या 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर


| कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | | कुल मानव दिवस | रिगार्क |
|--|-----------------|-------|------------------------|--------------|---------------|-----------------|
| | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| सर्वे एवं सीमांकन हे० | 60 | ha | 0.45 | प्रति हे० | 27 | जॉबदर |
| क्षेत्र सफाई (हे०) | 60 | ha | 4.00 | प्रति हे० | 240 | जॉबदर |
| लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (सघन) | 55 | ha | 22.00 | प्रति हेक्ट | 1210 | जॉबदर |
| वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊंची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 12 गेज चैनलिक फेंसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी/प्रति किलो की नुकीली तार की 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 75 30 cm X 30 cm X 45 cm के गड्डों में 1:3:6 के सीमेंट कांक्रीट से भरा जायेगा। | 4200 | Rmt | 2.4 | Rmt | 10080 | गणना के आधार पर |
| 5 गड्ढा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट | 60000 | गड्ढे | 2.5 | प्रति हजार | 150 | जॉबदर |
| 6 रोपण हेतु गड्ढा खोदाई संख्या | | | | | | |
| 45x45x45 cm. 3X3 | 50000 | गड्ढे | 5 | प्रति सैकड़ा | 2500 | जॉबदर |
| 30x30x30 cm. 2X2 | 10000 | गड्ढे | 3 | प्रति सैकड़ा | 300 | जॉबदर |
| 7 गड्ढों में मिट्टी बदलने हेतु कय आयतन का 40 प्रतिशत | 1930.5 | घ०मी० | 1.5 | प्रति घ०मी० | 2896 | बाजार दर |
| 8 गोबर खाद डालने हेतु कय आयतन का 20 प्रतिशत | 965.25 | घ०मी० | 3 | प्रति घ०मी० | 2896 | बाजार दर |
| 9 उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड्ढों में डालना | 50000 | गड्ढे | 1.5 | प्रति सैकड़ा | 750 | जॉबदर |
| 10 2 हट निर्माण | | L.S. | | | 500 | अनुमानित |
| 11 अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पेंट, चूना आदि) | | | | | 372 | अनुमानित |
| योग | | | | | 21920 | |
| 12 भू-जल संरक्षण कार्य 25 प्रतिशत जैसे बुशबुड परकोलेशन पिट, आदि | | हे० | 24.5 | प्रति हे० | 5480 | अनुमानित |
| कुल योग | | | | | 27400 | |

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र बकस्वाहा

उप वनमण्डलाधिकारी
उप वनमण्डल बकस्वाहा

| कार्य का विवरण | योजना का द्वितीय वर्ष | | | | | रिमांक |
|---|-----------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|----------|
| | कार्य की मात्रा | | दर प्रति ईकाई (गा.दि.) | | कुल मानव दिवस | |
| | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| रोपणी कार्य | | | | | | |
| प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या | 60000 | 20000 | 0.035 | 13/प्रति पौधा | 2100 | बाजार दर |
| मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत | 12000 | 4000 | 0.035 | 13/प्रति पौधा | 420 | बाजार दर |
| पौधों का परिवहन (संख्या) | | | | | | |
| ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा | | | | | | |
| सिंच बोज़ द्वारा 1 कि०मी० | 72000 | पौधे | 1.5 | 1.5/100 | 1080 | जॉबदर |
| वेताना मापिंग अप आपरेशन | 60000 | पौधे | 0.4 | 0.4 प्रति सैकड़ा | 240 | जॉबदर |
| रोपण | 55 | हेक्टेयर | 8 | 8 प्रति हेक्ट | 240 | जॉबदर |
| 45x45x45 cm. | 50000 | गड्डे | 1.8 | 1.8 प्रति सैकड़ा | 900 | जॉबदर |
| 30X30X30 cm. | 10000 | गड्डे | 1.5 | 1.5 प्रति सैकड़ा | 150 | जॉबदर |
| प्रथम निंदाई | | | | | | |
| पौधों में | 60000 | पौधे | 1.25 | 1.25/100 | 750 | जॉबदर |
| द्वितीय निंदाई | | | | | | |
| पौधों में | 60000 | पौधे | 1 | 1/100 | 600 | जॉबदर |
| खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई | 60000 | पौधे | 0.6 | 0.6 प्रति सैकड़ा | 360 | जॉबदर |
| आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन | | | | | | |
| 3 मीटर चौड़ी | 12000 | mtr | 2.25 | 2.25/किमी | 27 | जॉबदर |
| सुरक्षा 2 श्रमिक 9 माह | | 2X9 | | | 540 | अनुमानित |
| उपलब्धता अनुसार सिंचाई टैंकर द्वारा | 60000 | 0 | Lumsum | | 1000 | अनुमानित |
| अन्य व्यय (कीटनाशक खाद सिंचाई हेतु हजारा, सटक, बाल्टी, मग, क्रय एवं मजदूरों द्वारा सिंचाई | | | | | 593 | अनुमानित |
| | | | | | योग:- 9000 | |


 वन परिक्षेत्राधिकारी
 वन परिक्षेत्र बकस्वाहा


 उप वनमण्डल अधिकारी
 उप वनमण्डल बकस्वाहा

| कार्य का विवरण | योजना का तृतीय वर्ष | | | | | |
|---|---------------------|--------|-----------|-------------------------|---------------|----------|
| | कार्य की मात्रा | इकाई | मानव दिवस | दर प्रति इकाई (मा. दि.) | कुल मानव दिवस | रिमांक |
| पौधों का परिवहन (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु) | 6000 | 2000 | 0.035 | 13/प्रति पौधा | 210 | बाजार दर |
| पौधों का परिवहन (संख्या) | 6000 | 2000 | 1.5 | 1.5/100 | 90 | बाजार दर |
| पौधों का परिवहन (संख्या) / ट्रैक्टर द्वारा | 6000 | 2000 | 0.4 | 0.4 प्रति सैकड़ा | 24 | जॉबदर |
| पौधों का परिवहन (संख्या) द्वारा 1 कि०मी० | 6000 | 2000 | | | 160 | अनुमानित |
| पौधों का परिवहन (संख्या) मरम्मत कार्य (मीटर) | | | | | | |
| पौधों का परिवहन (संख्या) निदाई | 60000 | पौधे | 1.25 | 1.25/100 | 750 | जॉबदर |
| पौधों का परिवहन (संख्या) मे | 60000 | पौधे | 1 | 1 मादि/100 | 600 | जॉबदर |
| पौधों का परिवहन (संख्या) एवं कीटनाशक दवा डलवाई | 60000 | पौधे | 0.6 | 0.6 मादि/सैकड़ा | 360 | जॉबदर |
| पौधों का परिवहन (संख्या) अग्नि सुरक्षा लाईन | | | | | | |
| पौधों का परिवहन (संख्या) मीटर चौड़ी | 12000 | mtr | 2.25 | 225/किमी | 27 | जॉबदर |
| पौधों का परिवहन (संख्या) सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 720 | अनुमानित |
| पौधों का परिवहन (संख्या) उपलब्धता अनुसार सिंचाई टैंकर द्वारा | | 0 | | Lumsum | 1000 | अनुमानित |
| पौधों का परिवहन (संख्या) व्यय (कीटनाशक खाद सिंचाई हेतु हजारा, सटक, बाल्टी, मग, क्रय एवं मजदूरों द्वारा सिंचाई खादि) | | | | | 559 | अनुमानित |
| | योग:- | | | | 4500 | |


 वन परिक्षेत्राधिकारी
 वन परिक्षेत्र बकस्वाहा


 उप वनमण्डलाधिकारी
 उप वनमण्डल बकस्वाहा

शोजना का चतुर्थ वर्ष

| कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | घर प्रति इकाई (मा.वि) | | मूल्य मानव विवरण | शिगार्क |
|---|-----------------|--------|-----------------------|---------------|---------------------|----------|
| | मात्रा | इकाई | मानव विवरण | इकाई | | |
| पौधों का खय (10 प्रतिशत पौधों को पुनरोपण हेतु) | 6000 | पौधा | 0.035 | 13/प्रति पौधा | 210 | बाजार दर |
| पौधों का परिवहन (संख्या) | | | | | | बाजार दर |
| ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा | 6000 | पौधा | 1.5 | 100 | 90 | जीवदर |
| खिर बोझ द्वारा 1 कि०मी० | 6000 | पौधा | 0.4 | रीकड़ा | 24 | जीवदर |
| प्रथम निदाई | | | | | | |
| पौधों में | 60000 | पौधा | 1.25 | 100 | 750 | जीवदर |
| द्वितीय निदाई | | | | | | |
| पौधों में | 60000 | पौधा | 1 | 100 | 600 | जीवदर |
| आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाइन | | | | | | |
| 3 मीटर चौड़ी | 12000 | mtr | 2.25 | किमी | 27 | जीवदर |
| सुरक्षा समिति द्वारा/ 2 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 720 | अनुमानित |
| अन्य खय (कीटनाशक खाद सिंचाई हेतु हजार, सटक, बाल्टी, गग, क्रय एवं मजदूरों द्वारा सिंचाई आदि) | | | | | 579 | अनुमानित |
| उपलब्धता अनुसार सिंचाई टैकर द्वारा | | 0 | | Lumsum | 1000 | अनुमानित |
| योग:- | | | | | 4000 | |

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र बकस्वाहा

उप वनमण्डलाधिकारी
उप वनमण्डल बकस्वाहा

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष

| कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | | कुल मानव दिवस | रिमाक |
|--|-----------------|--------|------------------------|--------------------|---------------|----------|
| | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1. वन्य जीव संरक्षण कार्य (मीटर) | | | | | 100 | अनुमानित |
| 2. वन्य निदाई | | | | | | |
| 3. वन्य | 60000 | | 1.25 | 100 | 750 | जॉबदर |
| 4. वन्य एवं कीटनाशक दवा डलवाई | 60000 | पौधे | 0.6 | 0.6 मादि/सैकड़ा | 360 | जॉबदर |
| 5. आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन | | | | | | |
| 6. 3 मीटर चौड़ी | 12000 | mtr | 2.25 | किमी | 27 | जॉबदर |
| 7. सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 720 | अनुमानित |
| 8. अन्य व्यय | | | | | 243 | अनुमानित |
| कुल- | | | | | 2200 | |

योजना का षष्ठम वर्ष

| कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | | कुल मानव दिवस | रिमाक |
|--|-----------------|--------|------------------------|------|---------------|----------|
| | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1. आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन | | | | | | |
| 2. 3 मीटर चौड़ी | 12000 | mtr | 2.25 | किमी | 27 | जॉबदर |
| 3. वन्य जीव संरक्षण कार्य (मीटर) | | | | | 100 | अनुमानित |
| 4. सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 720 | अनुमानित |
| 5. अन्य व्यय | | | | | 153 | अनुमानित |
| कुल- | | | | | 1000 | |

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र बकस्वाहा

उप वनमण्डलाधिकारी
उप वनमण्डल बकस्वाहा

योजना का सप्तम वर्ष

| कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (भा.दि.) | | कुल मानव दिवस | शिगर्क |
|---------------------------------|-----------------|--------|------------------------|------|---------------|----------|
| | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| अग्नि सुरक्षा लाईन | | | | | | |
| मीटर चौड़ी | 12000 | mtr | 2.25 | किमी | 27 | जॉबदर |
| कॉन्सिग मरम्मत कार्य (मीटर) | | | | | 100 | अनुमानित |
| समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 720 | अनुमानित |
| अन्य व्यय | | | | | 153 | अनुमानित |
| | | | | | योग- | 1000 |

योजना का अष्टम वर्ष

| कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (भा.दि.) | | कुल मानव दिवस | शिगर्क |
|---------------------------------|-----------------|--------|------------------------|------|---------------|----------|
| | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| अग्नि सुरक्षा लाईन | | | | | | |
| मीटर चौड़ी | 12000 | mtr | 2.25 | किमी | 27 | जॉबदर |
| कॉन्सिग मरम्मत कार्य (मीटर) | | | | | 100 | अनुमानित |
| समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 720 | अनुमानित |
| अन्य व्यय | | | | | 153 | अनुमानित |
| | | | | | योग- | 1000 |

योजना का नवम वर्ष

| कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (भा.दि.) | | कुल मानव दिवस | शिगर्क |
|---------------------------------|-----------------|--------|------------------------|------|---------------|----------|
| | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| अग्नि सुरक्षा लाईन | | | | | | |
| मीटर चौड़ी | 12000 | mtr | 2.25 | किमी | 27 | जॉबदर |
| कॉन्सिग मरम्मत कार्य (मीटर) | | | | | 100 | अनुमानित |
| समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 720 | अनुमानित |
| अन्य व्यय | | | | | 153 | अनुमानित |
| | | | | | योग- | 1000 |

वन परिसेनाधिकारी
वन परिसेन बकस्वाहा


उप वनमण्डलाधिकारी
उप वनमण्डल बकस्वाहा


योजना का दसम वर्ष

| कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | | कुल मानव दिवस | शिमांक |
|---|-----------------|--------|------------------------|------|---------------|----------|
| | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| सुरक्षा लाईन | | | | | | |
| सुरक्षा लाईन चौड़ी | 12000 | mtr | 2.25 | किमी | 27 | जॉबदर |
| सुरक्षा फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर) | | | | | 100 | अनुमानित |
| सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 720 | अनुमानित |
| अन्य व्यय | | | | | 153 | अनुमानित |
| | | | | | योग- | 1000 |

योजना का ग्यारवां वर्ष


| कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | | कुल मानव दिवस | शिमांक |
|---|-----------------|--------|------------------------|------|---------------|----------|
| | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| सुरक्षा लाईन | | | | | | |
| सुरक्षा लाईन चौड़ी | 12000 | mtr | 2.25 | किमी | 27 | जॉबदर |
| सुरक्षा फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर) | | | | | 100 | अनुमानित |
| सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 720 | अनुमानित |
| अन्य व्यय | | | | | 153 | अनुमानित |
| | | | | | योग- | 1000 |



वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र बकस्वाहा


उप वनमण्डलाधिकारी
उप वनमण्डल बकस्वाहा


वर्षवार गोश्वारा, क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण जैतपुरा
बीट बकस्वाहा
कक्ष क्र. पी - 235 क्षेत्रफल - 60 हे.

| वर्ष | प्रस्तावित (मानव दिवस) | 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक | प्रस्तावित मानव दिवस | दर | राशि |
|---|---------------------------|---|-------------------------|-----|-----------------|
| प्रथम | 27400 | 1 | 27400 | 379 | 10384619 |
| द्वितीय | 9000 | 1.06 | 9540 | 379 | 3615660 |
| तृतीय | 4500 | 1.1236 | 5056 | 379 | 1916300 |
| चतुर्थ | 4000 | 1.191 | 4764 | 379 | 1805556 |
| पंचम | 2200 | 1.2625 | 2778 | 379 | 1052673 |
| षष्ठम | 1000 | 1.3382 | 1338 | 379 | 507178 |
| सप्तम | 1000 | 1.4185 | 1419 | 379 | 537612 |
| अष्टम | 1000 | 1.504 | 1504 | 379 | 570016 |
| नवम | 1000 | 1.594 | 1594 | 379 | 604126 |
| दसम | 1000 | 1.69 | 1690 | 379 | 640510 |
| ग्यारवां | 1000 | 1.79 | 1790 | 379 | 678410 |
| कुल योग | | | 58872 | | 22312659 |
| आस्थामूलक कार्य 5 प्रतिशत | | | | | 1115633 |
| मानव संसाधन एवं विकास 01 प्रतिशत | | | | | 223127 |
| अनुश्रवण एवं मूल्यांकन 4 प्रतिशत | | | | | 892506 |
| योग | | | | | 24543924 |
| कुल राशि पर 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क | | | | | 2454392 |
| महायोग | | | | | 26998317 |



वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र बकस्वाहा


उप वनमण्डलाधिकारी
उप वनमण्डल बकस्वाहा

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुसंशा की जाती है।


वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल उत्तरपुर

कार्यालयीन आदेश क्रमांक ७९ दिनांक ०५/०७/२३ से तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई


मुख्य वन संरक्षक
वन वृत्त उत्तरपुर

हाड मानचित्र 23

GHO

P 235

5

US-1

La

0.3

Mt

Jamunhiri

P F

Open mixed jungle
mainly teak
3 km

श्री ११
श्री ११

प. २११०००००

जम परिक्षा प्राधिकारी
परिक्षेत्र बलस्वाम

24

दस्तावेज नं. 24
सर्वेक्षण क्षेत्र का नक्शा
असम राज्य
वर्ष 2023-24

GHO

ra

P 235

5

munjhiri

P F

udha
Karampur mixed jungle
3 km main teak

- संकेत
- सर्वेक्षणांक - [Red line]
 - क्षेत्रीय नगर - [Orange double quote]
 - सर्वेक्षण क्षेत्र - [Blue square]
 - Recपोल्स गठार - [Green line]
 - डोपडी निर्मूल - [Yellow house icon]
 - गेट निर्मूल - [Blue L icon]

आदिवासी क्षेत्र

अ.स. वि. वि. वि. वि. वि.

वन परिक्षेत्राधिकारी
परिक्षेत्र बन्स्वारा

कार्यालय वृद्ध छतरपुर(म.प्र.)

सागर रोड़, छतरपुर (म.प्र.) 471001
Phone: 07682-242107 (O.), 242870 (R.), 242107 (Fax) E-mail: cfchtour@mp.gov.in

—: आदेश :—

क्रमांक/तकनीकी/व्यय/2024/ 61

छतरपुर/दिनांक 6/6/24

वनमण्डल छतरपुर के परिक्षेत्र-बड़ामलहरा, में भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत शाहगढ़ एवं हीरापुर बाईपास तथा मोहारी-साटिया घाट सेक्शन मार्ग के निर्माण में प्रभावित छतरपुर वनमण्डल के 29.5184 हेक्टे0 में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति अधिरोपित शर्त क्रमांक ए-5 के पालन में रोड़ साईड वृक्षारोपण योजना वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल छतरपुर द्वारा तैयार की जाकर पत्र क्रमांक/तकनीकी/2024/696दिनांक 03.06.2024 द्वारा कुल राशि रू0 20233194/- (दो करोड़ दो लाख तैतीस हजार एक सौ चौरान्चे रूपये मात्र) वर्ष 2024-25 से 2031-32 तक 07 वर्षीय प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर एतद् द्वारा तकनीकी स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

| जिला/ वनमण्डल | ग्राम/ परिक्षेत्र | कक्ष क्रमांक | रोपण हेतु प्रस्तावित लंबाई कि.मी. | विवरण | राशि (रु.में) |
|-------------------|----------------------|-----------------|---|---|---------------|
| छतरपुर/ छतरपुर | बड़ामलहरा | पी-40 | लम्बाई 8.162कि.मी. | वृक्षारोपण राशि | 16721648 |
| | | | | वृक्षारोपण राशि पर आस्थामूलक राशि 5% | 836082 |
| | | | | वृक्षारोपण राशि पर मानव संसाधन एवं विकास 1% | 167216 |
| | | | | वृक्षारोपण राशि पर 4% अनुश्रवण एवं मूल्यांकन राशि | 668866 |
| | | | | योग - | 18393813 |
| | | | | कुल वृक्षारोपण राशि पर 10% पर्यवेक्षण शुल्क | 1839381 |
| | | | | महायोग - | 20233194 |

- कार्य राशि उपलब्ध होने पर कराया जावेगा।
- सामग्री कय, मध्यप्रदेश भंडार कय नियमों के अनुरूप किया जावे।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-सर्वेक्षण) म0प्र0 भोपाल के पत्र क्रमांक 572 दिनांक 07.02.2002 के अनुरूप कार्य कराये जावेंगे। एवं सफलता सुनिश्चित की जावेगी।
- उक्त कार्य से संबंधित अभिलेखों (यथा माप पुस्तिका/देयक/रोपण पंजी आदि) का नियमानुसार संधारण किया जावे।

(सिखीव झा)

वन संरक्षक

छतरपुर वृत्त, छतरपुर

पृष्ठांक/क्रमांक/तकनीकी/व्यय/2024/ 617

छतरपुर/दिनांक 06.06.24

- प्रतिलिपि :-
1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
 2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर आपके कार्यालयीन पत्र क्र./624 दिनांक 09.02.2021 के तारतम्य में सूचनार्थ सम्प्रेषित।
 3. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल-छतरपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 4. परियोजना निदेशक, भा.रा.रा.प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई छतरपुर, रेल्वे स्टेशन के पास, पन्ना रोड़ छतरपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
 5. आदेश पत्रावली।

DMT
Divisional Forest Officer
06/06/24



वन संरक्षक

छतरपुर वृत्त, छतरपुर

प्रोजेक्ट रिपोर्ट वर्ष 2024-25




- | | | |
|------------------|---|---|
| 1. योजना का नाम | - | क्षतिपूर्ति सड़क किनारे वृक्षारोपण |
| 2. स्थल का नाम | - | मुहारी से साठिया घाटी तक |
| 3. रकवा/दूरी | - | कुल दूरी 8.162 कि.मी. (4.081 किमी रोड़ के एक तरफ) |
| 4. बीट का नाम | - | पूर्वी विनेदा |
| 5. नजदीकी कक्ष | - | पी0 40 |
| 6. सर्किल | - | धनगुवां |
| 7. पंचायत का नाम | - | नगर पंचायत - बडामलहरा |
| 8. वर्ष | - | 2024-25 से 2031-32 तक |
| 9. GPS रीडिंग | - | N 24' 15' 22.88" E 79' 15' 31.24" |



Handwritten signature and date:
 3/6/2024


स्थल में प्रस्तावित कार्यो संबंधी प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूर्ति सड़क किनारे वृक्षारोपण वर्ष 2024-25 के अंतर्गत प्रस्तावित क्षेत्र मुहारी-साठिया घाट क्षेत्र रोड कक्ष क्रं0 पी0 40 के पास कुल दूरी 8.162 कि.मी. (4.081 किमी0रोड़ के एक तरफ) का स्थल निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक 25/05/2024 को किया गया। स्थल में प्रस्तावित समस्त कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुसार ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सम्मिलित किए गए हैं एवं स्थल में प्रस्तावित गतिविधियां क्षेत्र के उपचारण हेतु उपयुक्त हैं।


वन परिक्षेत्राधिकारी,
वन परिक्षेत्र, बडामलहरा


स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूर्ति सड़क किनारे वृक्षारोपण वर्ष 2024-25 के अंतर्गत प्रस्तावित क्षेत्र मुहारी-साठिया घाट क्षेत्र रोड कक्ष क्रं0 पी0 40 के पास कुल दूरी 8.162 कि.मी. (4.081 किमी0रोड़ के एक तरफ) का निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक 06/05/2024 को किया गया। परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा तैयार किए गए परियोजना प्रतिवेदन से सहमत हूँ। प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियांवयन क्षेत्र हेतु उपयुक्त पाया गया। प्रस्तावित गतिविधियां स्थल विशेष के अनुरूप पाई गईं।


उप वनमंडलाधिकारी,
उप वनमंडल, छतरपुर म0प्र0

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूर्ति सड़क किनारे वृक्षारोपण वर्ष 2024-25 के अंतर्गत प्रस्तावित क्षेत्र मुहारी-साठिया घाट क्षेत्र रोड कक्ष क्रं0 पी0 40 के पास कुल दूरी 8.162 कि.मी. (4.081 किमी0रोड़ के एक तरफ) प्रस्तावित क्षेत्र हेतु प0अ0/उ0व0मं0अ0 द्वारा तैयार किए गए परियोजना प्रतिवेदन से सहमत हूँ।


वन संरक्षक,
सा0 वनमंडल, छतरपुर म0प्र0

सड़क किनारे क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एन.एच 34 मुहारी से साठिया घाट
(क्षेत्रफल-8.162 कि.मी.)

सड़क किनारे क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एन.एच 34 मुहारी से साठिया घाट रकबा 8.162 कि.मी.

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष 2024-25

(संख्या 500 पौधे प्रति हेक्टेयर)

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति ईकाई (मा.दि.) | | कुल मानव दिवस | रिमांक |
|-------|--|-----------------|-------|------------------------|--------------|---------------|-----------------|
| | | मात्रा | ईकाई | मानव दिवस | ईकाई | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | सर्वे एवं सीमांकन हे० | 8.162 | ha | 0.45 | प्रति हे० | 4 | जॉबदर |
| 2 | ट्रीटमेंट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) हेक्ट. | 8.162 | ha | 1.00 | - | 8 | अनुमानित |
| 3 | क्षेत्र सफाई (हे०) | 8 | ha | 4.00 | प्रति हे० | 32 | जॉबदर |
| 4 | वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.5 मी. ऊंची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 12 गेज चैनलिंग फेंसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट काब्रिस 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी/प्रति किलो की नुकीली तार की 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 30 cm X 30 cm X 45 cm के गडदों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रीट से भरा जायेगा। | 12500 | | 2.4 | Rmt | 30000 | गणना के आधार पर |
| 5 | गडदा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट | 4081 | गड्डे | 2.5 | प्रति हजार | 13 | जॉबदर |
| 6 | रोपण हेतु गडदा खोदाई संख्या | | | | | | |
| a | 45x45x45 cm. | 4081 | गड्डे | 5 | प्रति सैकड़ा | 204 | जॉबदर |
| 7 | गडदों में मिट्टी बदलने हेतु क्य आयतन का 30 प्रतिशत | 111.56 | घ०मी० | 1.5 | प्रति घ०मी० | 204 | बाजार दर |
| 8 | गोबर खाद डालने हेतु क्य आयतन का 15 प्रतिशत | 55.78 | घ०मी० | 3 | प्रति घ०मी० | 204 | बाजार दर |
| 9 | उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गडदों में डालना | 4081 | गड्डे | 1.5 | प्रति सैकड़ा | 61 | जॉबदर |
| 10 | हट निर्माण | | L.S. | | | 150 | अनुमानित |
| 11 | अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पेंट, चूना आदि) | | | | | 225 | अनुमानित |
| योग-: | | | | | | 31105 | |


वनपरिक्षेत्राधिकारी
बडामलहरा

योजना का द्वितीय वर्ष 2025-26

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | | कुल मानव दिवस | टिप्पणियाँ |
|-------|--|-----------------|-------|------------------------|---------------|---------------|------------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | रोपणी कार्य | | | | | | |
| 1 | प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या | 4081 | | 0.03847 | 35/प्रति पौधा | 157 | बाजार दर |
| | मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत | 816.2 | | 0.03847 | 35/प्रति पौधा | 31 | बाजार दर |
| 2 | पौधों का परिवहन (संख्या) | | | | | | |
| | ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा | 4897 | पौधे | 1.5 | 100 | 73 | जॉबदर |
| | सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी० | 4897 | पौधे | 0.4 | प्रति सैकड़ा | 20 | जॉबदर |
| 3 | रोपण | | | | | | |
| | 45x45x45 cm. | 4081 | गड्डे | 1.8 | प्रति सैकड़ा | 73 | जॉबदर |
| 4 | प्रथम निंदाई | | | | | | |
| | पौधों में | 4081 | | 1.25 | 100 | 51 | जॉबदर |
| 5 | द्वितीय निंदाई | | | | | | |
| | पौधों में | 4081 | | 1 | 100 | 41 | जॉबदर |
| 6 | तृतीय निंदाई | | | | | | |
| | पौधों में | 4081 | | 1 | 100 | 41 | जॉबदर |
| 7 | खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई | 4081 | | 0.6 | प्रति सैकड़ा | 24 | जॉबदर |
| 8 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन | | | | | | |
| | 6 मीटर चौड़ी | 1050 | mtr | 3.35 | किमी | 4 | जॉबदर |
| | 3 मीटर चौड़ी | 950 | mtr | 2.25 | किमी | 2 | जॉबदर |
| 9 | सुरक्षा 2 श्रमिक 12 माह | | 2x12 | | | 624 | अनुमानित |
| 10 | उपलब्धता अनुसार सिंचाई | 4500 | | | Lumsum | 250 | अनुमानित |
| 11 | अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय) | | | | | 210 | अनुमानित |
| योग:- | | | | | | 1602 | |

योजना का तृतीय वर्ष 2026-27

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति ईकाई (मा.दि.) | | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|-------|---|-----------------|--------|------------------------|---------------------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु) | 408.1 | | 0.03847 | 35 रुपये प्रति पौधा | 16 | बाजार दर |
| 2 | पौधों का परिवहन (संख्या) | | | | | | बाजार दर |
| | ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा | 408.1 | | 1.5 | 100 | 6 | जॉबदर |
| | सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी० | 408.1 | | 0.4 | प्रति सैकड़ा | 2 | जॉबदर |
| 3 | चेनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर) | | | | | 20 | अनुमानित |
| 4 | प्रथम निंदाई | | | | | | |
| | पौधों में | 4081 | | 1.25 | 100 | 51 | जॉबदर |
| 5 | द्वितीय निंदाई | | | | | | |
| | पौधों में | 4081 | | 1 | 100 | 41 | जॉबदर |
| 6 | खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई | 4081 | | 0.6 | सैकड़ा | 24 | जॉबदर |
| 7 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाइन | | | | | | |
| | 6 मीटर चौड़ी | 1050 | mtr | 3.35 | किमी | 4 | जॉबदर |
| | 3 मीटर चौड़ी | 950 | mtr | 2.25 | किमी | 2 | जॉबदर |
| 8 | सुरक्षा समिति द्वारा/2 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 720 | अनुमानित |
| 9 | उपलब्धता अनुसार सिंचाई | 4081 | 5000 | | Lumsum | 200 | अनुमानित |
| 10 | अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय) | | | | | 50 | अनुमानित |
| योग:- | | | | | | 1135 | |

योजना का चतुर्थ वर्ष 2027-28

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | | कुल मानव दिवस | शिर्माक |
|-------|---|-----------------|--------|------------------------|---------------------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु) | 408.1 | | 0.03847 | 35 रुपये प्रति पौधा | 16 | बाजार दर |
| | पौधों का परिवहन (संख्या) | | | | | | बाजार दर |
| 2 | ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा | 408.1 | | 1.5 | 100 | 6 | जॉबदर |
| | सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी० | 408.1 | | 0.4 | प्रति सैकड़ा | 2 | जॉबदर |
| | प्रथम निंदाई | | | | | | |
| 3 | पौधों में | 4081 | | 1.25 | 100 | 51 | जॉबदर |
| | द्वितीय निंदाई | | | | | | |
| 4 | पौधों में | 4081 | | 1 | 100 | 41 | जॉबदर |
| 5 | खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई | 4081 | | 0.6 | सैकड़ा | 24 | जॉबदर |
| | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाइन | | | | | | |
| 6 | 6 मीटर चौड़ी | 1050 | mtr | 3.35 | किमी | 4 | जॉबदर |
| | 3 मीटर चौड़ी | 950 | mtr | 2.25 | किमी | 2 | जॉबदर |
| 7 | सुरक्षा समिति द्वारा/1 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 360 | अनुमानित |
| 8 | उपलब्धता अनुसार सिंचाई | | 5000 | | Lumsum | 200 | अनुमानित |
| 9 | अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय) | | | | | 150 | अनुमानित |
| योग:- | | | | | | 855 | |

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष 2028-29

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति इकाई (मा.दि.) | | कुल मानव दिवस | रिमांक |
|-------|---------------------------------------|-----------------|--------|------------------------|------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | चेनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर) | | | | | 50 | अनुमानित |
| 2 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन | | | | | | |
| | 6 मीटर चौड़ी | 1050 | mtr | 3.35 | किमी | 4 | जॉबदर |
| | 3 मीटर चौड़ी | 950 | mtr | 2.25 | किमी | 2 | जॉबदर |
| 3 | सुरक्षा समिति द्वारा/1 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 360 | अनुमानित |
| 4 | अन्य व्यय | | | | | 50 | अनुमानित |
| योग:- | | | | | | 466 | |

योजना का षष्ठम वर्ष 2029-30

| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति ईकाई (मा.दि.) | | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|-------|---------------------------------------|-----------------|--------|------------------------|------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन | | | | | | |
| | 6 मीटर चौड़ी | 1050 | mtr | 3.35 | किमी | 4 | जॉबदर |
| | 3 मीटर चौड़ी | 950 | mtr | 2.25 | किमी | 2 | जॉबदर |
| 2 | सुरक्षा समिति द्वारा/1 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 360 | अनुमानित |
| 3 | अन्य व्यय | | | | | 50 | अनुमानित |
| योग:- | | | | | | 416 | |

योजना का सप्तम वर्ष 2030-31


| क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की मात्रा | | दर प्रति ईकाई (मा.दि.) | | कुल मानव दिवस | रिमार्क |
|-------|---------------------------------------|-----------------|----------|------------------------|------|---------------|----------|
| | | मात्रा | इकाई | मानव दिवस | इकाई | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन | | | | | | |
| | 6 मीटर चौड़ी | 1050 | 2000 mtr | 3.35 | किमी | 3.5175 | जॉबदर |
| | 3 मीटर चौड़ी | 950 | 6000 mtr | 2.25 | किमी | 2.1375 | जॉबदर |
| 2 | सुरक्षा समिति द्वारा/1 सुरक्षा श्रमिक | | 12 माह | | | 360 | अनुमानित |
| 3 | अन्य व्यय | | | | | 50 | अनुमानित |
| योग:- | | | | | | 416 | |


क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु व्यय का गोश्वारा,

| वर्ष | प्रस्तावित (मानव दिवस) | 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक | प्रस्तावित मानव दिवस | राशि | |
|-----------|---------------------------|---|----------------------|----------|------------|
| प्रथम | 31105 | 1.000 | 31105 | 14121670 | |
| द्वितीय | 1602 | 1.060 | 1698 | 770946 | |
| तृतीय | 1135 | 1.1236 | 1275 | 578980 | |
| चतुर्थ | 855 | 1.1910 | 1018 | 462310 | |
| पंचम | 466 | 1.2625 | 588 | 267100 | |
| षष्ठम | 416 | 1.3382 | 557 | 252738 | |
| सप्तम | 416 | 1.4185 | 590 | 267904 | |
| कुल योग—: | | | 36832 | 16721648 | |
| | | | EPA | 5 | 836082 |
| | | | HRD | 1 | 167216 |
| | | | M&E | 4 | 668866 |
| | | | | | 18393813 |
| | | | Monitoring | 10 | 1839381 |
| | | | महायोग —: | | 20233194 |
| | | | | | 2478950.47 |

RATE/HAC.


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र बडामलहरा


उप वनमण्डलाधिकारी
उप वनमण्डल बकस्वाहा


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल छतरपुर



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE

क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल / REGIONAL OFFICE, BHOPAL

Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,
BHOPAL - 462016 (M.P.)

TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in



क्रमांक 6-एमपीआर 041/2023-बीएचओ/
प्रति,

दिनांक: /02/2025.

प्रधान सचिव (वन)
मध्यप्रदेश शासन,
वल्लभ भवन, भोपाल ।

विषय: सागर एवं छतरपुर जिले में भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-34 (Old NH-86 सागर-कानपुर) के अन्तर्गत शाहगढ़ एवं हीरापुर बायपास तथा मोहारी-सतियाघाट सेक्शन मार्ग के निर्माण हेतु 109.496 हेक्टेयर (79.9776 हे. उत्तर सागर एवं 29.5184 हे. छतरपुर वनमण्डल) आरक्षित, संरक्षित एवं राजस्व वनभूमि परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उपयोग पर देने बाबत (FP/MP/Road/155297/2022).

Sir,

I am directed to refer to the APCCF (LM) and Nodal Officer, Govt. of Madhya Pradesh letter Nos. F-5/1317/2023/10-11/4603 dated 17/10/2023, 191 dated 09/01/2024 and 1378 dated 04/03/2024, wherein prior approval of Ministry of Environment, Forest and Climate Change for diversion of 109.496 ha forest land (79.9776 ha in Sagar North & 29.5184 ha in Chhatarpur Forest Division) for improvement and up-gradation of existing 2 lane to 4 lane with paved shoulders with/without service road including realignment and Shahgarh & Hirapur bypasses from Mohari to Satai Ghat Section of NH-34 (Old NH-86 Sagar-Kanpur) from design km. 50+300 (existing km. 49.789) to Design km. 89+878 (existing km. 90.302) under Bharatmala Pariyojna (Package-2) in Sagar and Chhatarpur Districts of Madhya Pradesh, was sought in accordance with Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980. After due consideration of the proposal of the State Government, the 'in-principle' approval of the Central Government for diversion of the said forest land was accorded vide this office letter dated 15/04/2024 & addendum dated 29/08/2024 subject to fulfillment of certain conditions. The APCCF (LM), Govt. of Madhya Pradesh vide their letter Nos. F-5/1317/2023/10-11/3625 dated 10/07/2024 & 421 dated 31/01/2025 have furnished compliance report in respect of the relevant conditions stipulated in the in-principle approval for grant of final approval.

In this connection, on the basis of the compliance report under reference and confirmation of receipt of compensatory levies from National Authority of CAMPA dated 02/07/2024 the **final approval** of the Central Government under Section 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 is hereby accorded for diversion of 109.496 ha forest land (79.9776 ha in Sagar North & 29.5184 ha in Chhatarpur Forest Division) for improvement and up-gradation of existing 2 lane to 4 lane with paved shoulders with/without service road including realignment and Shahgarh & Hirapur bypasses from Mohari to Satai Ghat Section of NH-34 (Old NH-86 Sagar-Kanpur) from design km. 50+300 (existing km. 49.789) to Design km. 89+878 (existing km. 90.302) under

Bharatmala Pariyojna (Package-2) in Sagar and Chhatarpur Districts of Madhya Pradesh, subject to the following conditions and stipulations:-

- (1) Legal status of the forest land diverted shall remain unchanged.
- (2) Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over **240.00 ha degraded forest land** at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially non-native species be avoided. Details of CA areas are as follows :

| No. | Forest Division | Forest Range | Forest Compartment | Area in (ha) |
|--------------|-----------------|--------------|--------------------|------------------|
| 1. | North Sagar | Shahgarh | RF-503 | 160.00 |
| 2. | Chhatarpur | Buxwaha | PF-235 | 60.00 |
| TOTAL | | | | 240.00 Ha |

- (3) The State Government shall ensure that compliance of Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 has been completed in accordance with the relevant Rules and Guidelines issued by the MoEF&CC, GoI in this regard.
- (4) User Agency shall restrict the felling of trees up to **25377 enumerated numbers or any minimum number** in the diverted forest land and they shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.
- (5) **A copy of the road side plantation scheme shall be submitted to the Regional Office and execution of the same shall be carried out by the State Forest Department at the cost of User Agency in accordance with the scheme as per IRC norms.**
- (6) **Backlog of CA shall be cleared in the next plantation season and a report shall be submitted to this office.**
- (7) **Speed regulating signages shall be erected all along the road at regular intervals in the Protected / Forest Areas.**
- (8) The User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
- (9) Boundary of the diverted forest land shall be demarcated on the ground at the project cost, as per the directions of the concerned DFO.
- (10) Layout plan of the proposed diversion of the forest land shall not be changed without prior approval of the Central Government.
- (11) No additional or new path will be constructed inside the forest area for execution of the project work.
- (12) No labour camp shall be established inside the forest land.
- (13) The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and staff working at the site so as to prevent any damage and pressure on the nearby forests.

- (14) The diverted forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
- (15) The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the project life.
- (16) The diverted forest land shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of the Central Government.
- (17) The User Agency shall provide suitable under/ over passes in Protected / Reserved Forest Area as per recommendation of CWLW/ NBWL/FAC/ REC, if applicable.
- (18) The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of all the Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order(s) and National Green Tribunal Order(s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.
- (19) Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.
- (20) **All the conditions of Stage-I approval dated 15/04/2024 shall be strictly complied, except condition No. 1, 7 & B (2) imposed in Addendum dated 29/08/2024 which is the condition regarding compensatory afforestation on non-forest land.**
- (21) Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests and wildlife.

As has been mentioned at Para-2 of the Stage-II approval, this approval for diversion of forest land is subject to fulfillment of the stipulated conditions mentioned in this approval letter. Therefore, in the event of non-compliance of any of the conditions laid out in this approval letter, the Regional Office of Ministry of Environment, Forest & Climate Change may withdraw the said approval for diversion of the forest land and stop all the non-forestry activities being carried out in the forest land besides initiating legal action as per provisions of the Forest (Conservation) Act, 1980.

This has been issued with the approval of the Competent Authority.

Signed by Yogesh Gairola

Date: 18-02-2025 10:41:29

(डॉ. योगेश गैरोला)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि:

1. वन महानिरीक्षक(एफसी), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली ।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, वन भवन, तुलसीनगर, भोपाल ।
3. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल उत्तर सागर/ छतरपुर, मध्यप्रदेश ।
4. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सागर, मध्यप्रदेश ।
5. आदेश पत्रावली ।

कार्यालय सामान्य वनमंडल छतरपुर (म.प्र.)

MP Forest
Department

जवाहर रोड, छतरपुर (म. प्र.), पिन कोड: 471001

Phone : 07682-245316 (O.), 245316 (Fax) E-mail: dfochhatarpur@mpforest.org

छतरपुर, दिनांक 18-6-24

क्रमांक/तकनीकी/2024/2667
प्रति.

- विषय :- महाप्रबंधक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई छतरपुर
सागर एवं छतरपुर जिले में भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-34
(Old NH-86 सागर-कानपुर) के अन्तर्गत शाहगढ़ एवं हीरापुर बायपास तथा
मोहारी-सतिया घाट सेक्शन मार्ग के निर्माण हेतु उत्तर सागर वनमण्डल की 79.9776
हेक्टेयर एवं छतरपुर वनमंडल की 29.5184 हेक्टेयर कुल 109.496 हेक्टेयर
वनभूमि/राजस्व वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सागर को उपयोग पर
देने बाबत। (प्रकरण क्रमांक/FP/MP/ROAD/155297/2022)
- संदर्भ :- 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-5/1317
/2023 /10-11/2110 भोपाल दिनांक 18.04.2024
2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/2060 दिनांक 24.04.2024

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल द्वारा छतरपुर जिले में भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-34 (Old NH-86 सागर-कानपुर) के अन्तर्गत शाहगढ़ एवं हीरापुर बायपास तथा मोहारी-सतिया घाट सेक्शन मार्ग के निर्माण हेतु उत्तर सागर वनमण्डल की 79.9776 हेक्टेयर एवं छतरपुर वनमंडल की 29.5184 हेक्टेयर के प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र दिनांक 15.04.2024 निर्धारित शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई थी। प्रदाय स्वीकृति में रोपित समस्त शर्तों को मान्य करने संबंधी पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध करवाने हेतु लेख किया गया था।

प्रदाय स्वीकृति के बिन्दु क्रमांक ए-5 के पालन में रोड साइड वृक्षारोपण कार्य हेतु योजना वर्ष 2024-25 से 2030-31 (07 वर्षीय) कुल राशि 20233194/- (रूपये दो करोड़ दो लाख तैतीस हजार एक सौ चौरानवे मात्र) की तकनीकी स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक वृत्त छतरपुर के आदेश क्रमांक/61 दिनांक 06.06.2024 से जारी की गई है। वर्तमान में प्रचलित निर्देशों के अंतर्गत तकनीकी स्वीकृत योजना की राशि रूपये 18393813/- (रूपये एक करोड़ तेरासी लाख तेरानवे हजार आठ सौ तेरह मात्र) की राशि कैम्पा मेद में ऑनलाइन जमा की जावे तथा योजना पर्यवेक्षण शुल्क की राशि रूपये 1839381/- (रूपये अठारह लाख उन्तालीस हजार तीन सौ इक्यासी मात्र) राजस्व मद "0406 वानिकी और वन्यजीव (01) वानिकी (800) अन्य प्राप्तियां (0229) विविध प्राप्तियों में जमा की जाकर चालान की प्रति इस कार्यालय को पालन प्रतिवेदन के साथ भेजे।

वन मण्डलाधिकारी

सा. वन मण्डल छतरपुर

छतरपुर, दिनांक 18-6-24

पृष्ठां. क्रमांक/तकनीकी/2024/2668

प्रतिलिपि :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), वन भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वन मण्डलाधिकारी

सा. वन मण्डल छतरपुर

19/06/2024